श्री रामायण यादव, अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, कमरा सं0 409, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

******

अपील सं. 28/एएस(आर.वाई.)/आई.सी/आर.टी.आई./2016

के मामले में :

श्री के.एम.बाबू,
आर.टी.आई.कार्यकर्ता,
शासकीय महाविद्यालय के सामने,
कोसाबाड़ी, कोरबा,
छत्तीसगढ - 495677

.... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

.... प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक- 21.10.2016

श्री के0एम0 बाबू (यहां इसके पश्चात अपीलार्थी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अपने दिनांक 3.07.2016 के आवेदन-पत्र (इस विभाग में दिनांक 13.7.2016 को प्राप्त) के तहत अपनी पूर्व याचिका, दिनांक 21.06.2016 पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने इस विषय में एक अपील दिनांक 3.10.2016 को इस विभाग को भेजी है, जिसमें निम्नानुसार लिखा है :-

"प्रार्थी को अभी तक उनकी याचिका, दिनांक 21.06.2016 पर कोई भी सूचना नहीं मिली है । अत: मुझे क्षतिपूर्ति राशि और सूचना दिलवाई जाए।"

2. विधि कार्य विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यहां इसके पश्चात प्रत्यर्थी) ने अपने दिनांक 24.8.2016 के उत्तर के तहत अपीलार्थी को यह सूचित किया था कि अपीलार्थी के दिनांक 21.6.2016 की याचिका का संबंध इस विभाग से न होने के कारण विभाग के लोक शिकायत अनुभाग ने अपने दिनांक 8.8.2016 के पत्र के द्वारा अपीलार्थी की दिनांक 21.06.2016 की उक्त याचिका को छत्तीसगढ़ सरकार को हस्तांतरित कर दिया था तथा अपीलार्थी से अनुरोध किया था कि इस बारे में आगे की कार्रवाई की जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त करें।

3. मैंने अपील के ज्ञापन और प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सूचना को देख लिया है । मैं प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की आर0टी0आई0 याचिका पर की गई कार्रवाई से सहमत हूं क्योंकि याचिका का संबंध इस विभाग से न होने के कारण उसका हस्तांतरण छत्तीसगढ़ सरकार को कर दिया गया है तथा इसकी सूचना अपीलार्थी को भी दे दी गई है और उससे अनुरोध किया गया है कि वह सीधे छत्तीसगढ़ सरकार से सूचना प्राप्त करे । तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है ।

4. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है/ व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है ।

ह० /-

(रामायण यादव)

अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी

दूरभाष सं0 23384204

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :</u>

1. श्री के.एम.बाबू, आर.टी.आई.कार्यकर्ता, शासकीय महाविद्यालय के सामने, कोसाबाड़ी, कोरबा, छत्तीसगढ़ - 495677
2. श्री के0 गिनखन थंग, उप सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यान्वयन कक्ष, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

4/11/16